उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
UTTARAKHAND AYURVED UNIVERSITY
(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त,भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
(An Autonomous body of Uttarakhand Government, registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956, Member of AIU)
रेलवे रोड, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001
Phone : +91-135-2685993, Fax : +91-135-2685124, Website : www.uau.ac.in;

संख्या : 1583 /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2024–25 दिनांक : 12/12/ 2024

अस्थाई सम्बद्धता कार्यालय आदेश
शैक्षणिक सत्र 2024–25

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों, विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 3-7/MARB/2024-AY(140) दिनांक 01.07.2024 के क्रम में दी गयी अनुमति के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित संस्थान को तालिका में वर्णित अवधि के लिये अस्थाई सम्वद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान में प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, हरिद्वार	बी0ए0एम0एस0	सीट– 60	शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता

2– संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

3– संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), भारत सरकार, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/पद त्याग की सूचना की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

4– संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

5– छात्रों से उत्तराखण्ड शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों को ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

6– यदि किसी संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति (NOC) को निरस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7– संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), भारत सरकार, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चेक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

8— संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रवेश में आरक्षण दिया जाना आवश्यक होगा।

9— संस्थान द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय—समय पर निर्गत मानकों एवं समस्त आधारभूत सुविधाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी अनिवार्य होगी।

10— भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दी गयी अनुमति में जो कमियां/शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्थान द्वारा उक्त का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(रामजी शरण शर्मा)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव/अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, श्री राज्यपाल/माननीय कुलाधिपति महोदय, राजभवन, देहरादून।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला, देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, हरिद्वार।
9. गार्ड फाईल।

(रामजी शरण शर्मा)
कुलसचिव।